

पशुपालन विभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 1171 / लेखा / विज्ञापन / 2026-27 दिनांक 14-07-2026

जनपद अल्मोड़ा की स्थानीय निकायों द्वारा स्थापित गोसदनों को मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी पशु कल्याण संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जाने हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

**(Invitation of Expression of Interest from Recognized NGOs to run Gausadans
Established by Local Bodies of District Almora)**

उत्तराखण्ड शासन के ई-पत्र संख्या 909 दिनांक 2 जून, 2025 के द्वारा गैर सरकारी पशु कल्याण संस्थाओं द्वारा संचालित गोसदनों को मान्यता दिये जाने एवं जनपद अन्तर्गत निराश्रित गौवंश हेतु निर्माणाधीन गोसदनों को संचालित किये जाने हेतु पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन गठित भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड (AWBI: Animal Welfare Board of India) अथवा उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड अन्तर्गत गोकल्याण हेतु मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाना है। तथा अनुबन्ध के लिए उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1534 दिनांक 14 अगस्त, 2025 के द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत निम्न गोसदनों में निराश्रित गौवंश के भरण पोषण एवं सेवा सुश्रुषा के प्रबन्धकीय कार्यों हेतु गैर सरकारी स्वच्छिक संस्थाओं के माध्यम से रु- 80 प्रति पशु प्रतिदिन की दर से कराये जाने हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की जाती है:-

निम्न गौशाला शरणालय निर्माणाधीन है।

प्रस्तावित स्थान	अनुमानित शरण क्षमता	प्रस्तावित स्थान	अनुमानित शरण क्षमता
ग्राम-खालाकोट, भैसियाछाना	200	राजकीय चारा प्रक्षेत्र भैसवाड़ा-	100
ग्राम-रिखाड, भिकियासैण	100	हवालबाग	
ग्राम-ककराड़, ताकुला	100	दौलाघट में कान्हावन - हवालबाग (स्वच्छन्द विचरण गौशाला)	40

इच्छुक आवेदक संस्थाएँ की अभिव्यक्ति की शर्तें व नियमों का विवरण (Annexure B) एवं निर्धारित आवेदन प्रपत्र (Annexure A) मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी अल्मोड़ा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस अथवा पशुपालन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट <https://ahd.uk.gov.in> से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

समस्त इच्छुक आवेदक संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रपत्र वांछित संलग्नकों सहित दिनांक 10 अगस्त, 2026 अपरान्ह 4:00 बजे तक कार्यालय- मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा में स्वयं अथवा पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत किये जा सकते हैं। जिन स्वयं सेवी संस्थाओं ने पूर्व वर्षों में गौशाला संचालन हेतु आवेदन किया गया था वो भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त प्रतिस्पर्धात्मक एवं तुलनात्मक चयन किया जाना है। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा।	मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा।	जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
---	---	----------------------------------

कार्यालय-मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा।

पत्रांक / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

1. सम्पादक- उत्तर उजाला/संस्थानिक/अमेर उजाला/दैनिक जागरण/हिन्दूस्तान/कुमारू टाइम्स को इस आशय से कि रु0 2500.00 (रु0 दो हजार पाँच सौ मात्र) के अन्तर्गत जनहित में प्रदेश स्तर के संस्करण में प्रकाशित करते हुए देयक जिला सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा से सत्यापित कर दो प्रतियों में भुगतान हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

2. लेखाकार/कैशियर मुख्यालय।

3. मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।

4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

5. जिलाधिकारी महोदय, जनपद अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

6. निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI)

सूचना विभागीय <https://ahd.uk.gov.in> पर अपलोड करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहें।

7. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
अल्मोड़ा।

सरकारी भूमि पर नवनिर्मित गोसदन के संचालन हेतु (Category 1 & Category 2) मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था से अनुबन्ध किये जाने हेतु अर्हताएँ/शर्तें

1. नवनिर्मित गोसदन के संचालन हेतु अनुबन्ध की जाने वाली गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था का उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड अथवा भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के अधीन पंजीकरण होना अनिवार्य होगा।
2. गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था, अलाभकर गोवंश (वृद्ध बीमार, विकलांग, अनुत्पादक निराश्रित एवं पुलिस-प्रशासन द्वारा गोतस्करों से जब्त किये गये न्यायिक प्रकरणाधीन केस प्रॉपर्टी गोवंश) को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जिला स्तरीय समिति उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रख्यापित नियमावलियों/संशोधन आदेशों तथा तदक्रम में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत/जारी होने वाले शासनादेशों में वर्णित कानूनी प्राविधानों के अनुपालन हेतु बाध्य होगी।
3. राजकीय सहायता/भरण पोषण हेतु अनुदान केवल वृद्ध बीमार, विकलांग, अनुत्पादक निराश्रित एवं पुलिस-प्रशासन द्वारा गोतस्करों से जब्त किये गये न्यायिक प्रकरणाधीन केस प्रॉपर्टी गोवंश हेतु देय होगा। उत्पादक गोवंशीय पशुओं हेतु राजकीय अनुदान देय नहीं होगा।
4. गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा पूर्व से संचालित कांजी हाउस/गोशाला शरणालय संचालन हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से आवेदन।
5. जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण/समीक्षा एवं अनुशंसा की जाएगी।
6. अर्हताएँ पूर्ण करने के उपरान्त गोसदन संचालन हेतु गैरसरकारी संस्था का चयन किया जाएगा।
7. गैरसरकारी संस्था के साथ गोसदन संचालन हेतु समिति द्वारा स्वतः स्पष्ट अनुबन्ध किया जाएगा।
8. गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था, भूमि की उपलब्धता अनुसार (प्रतिपशु कवर्ड एरिया 40 वर्गफुट/प्रतिपशु ओपन + कवर्ड एरिया 150 वर्गफुट) निर्धारित गोवंश की संख्या के बराबर अलाभकर गोवंश को शरण देने हेतु प्रतिवृद्ध होगी। तदक्रम में संस्था, पुलिस प्रशासन/स्थानीय निकाय अथवा अन्य प्राधिकारियों के द्वारा गोसदन में भेजे गये गोवंश को शरण दिये जाने हेतु बाध्य होगी।
9. आवेदक संस्था, समस्त शरणागत गोवंश की भली प्रकार देख-रेख, भरण पोषण हेतु, राजकीय आंशिक सहायता/भरण-पोषण अनुदान के अतिरिक्त समस्त अवशेष व्ययों को निर्वहन कर पाने में सक्षम, कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध होगी।
10. सन्बन्धित जनपद की जनपद स्तरीय समिति द्वारा अनुबन्ध की जा रही संस्था से ₹0 100/- के अनुबन्ध पत्र में समस्त शर्तों को उल्लिखित करते हुए अनुबन्ध किया जायेगा। जिसमें भरण-पोषण मद में दी गयी राजकीय अनुदान धनराशि को शरणागत गोवंशीय पशुओं के भरण-पोषण हेतु ही उपयोग में लाया जायेगा।
11. जनपद स्तरीय समिति द्वारा अनुबन्ध की जा रही गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था से न्यूनतम 10 वर्षों के लिए अनुबन्ध किया जायेगा। अनुबन्ध अवधि में संस्था का कार्य उत्कृष्ट पाये जाने पर अनुबन्ध अवधि में वृद्धि (अनुबन्ध नवीनीकरण) जनपद स्तरीय समिति द्वारा की जा सकेगी।
12. गोसदन संचालन में असमर्थता की दशा में अनुबन्धित संस्था द्वारा जिला स्तरीय समिति को तीन माह पूर्व सूचित करना अनिवार्य होगा।

13. गोवंश प्रबन्धन/लेखा परीक्षण/भू उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर उत्तराखण्ड शासन/उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड/जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय अनुबन्धित संस्था को 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित कर सकेगा, स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट न होने की दशा में या किसी भी विवाद की दशा में जिला स्तरीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
14. अनुबन्ध निरस्त होने की दशा में पुनः गोसदन संचालन का दायित्व किसी भी अन्य अर्ह संस्था को हस्तान्तरित करने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।
15. शासन/जिला स्तरीय समिति/उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी एवं पशुपालन विभाग के अधिकारी द्वारा संस्था के औषक निरीक्षण किये जाने हेतु सक्षम होंगे। इस क्रम में संस्था द्वारा पूर्ण सहयोग किया जाना अपेक्षित रहेगा।
16. गोसदन में क्षमता से अधिक गोवंशीय पशु होने की दशा में क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी की आख्या के आधार पर, जिला स्तरीय समिति द्वारा शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतीराज विभाग द्वारा गोवंश को अन्यत्र मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों की क्षमता के आधार पर सुसंगत अभिलेखीय विवरण के साथ विस्थापित किया जायेगा तथा गोसदन को मानक संख्या के अनुरूप राजकीय अनुदान देय होगा।
17. निराश्रित पशुओं को गोसदनों तक पहुँचाये जाने हेतु Cattle Lifting Van/Hydraulic Van उपलब्ध कराये जाने का दायित्व, नगरीय परिधि में शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण परिधि में पंचायतीराज विभाग का होगा।
18. गैरसरकारी संस्था द्वारा संचालित गोसदनों में सदिग्ध संख्या में गोवंशीय पशुओं की क्षति होने पर विकासखण्ड स्तरीय समिति तथा यथावश्यकता पशुपालन विभाग द्वारा सम्बन्धित गोसदन की जांच की जायेगी। समिति द्वारा अपनी जांच आख्या जनपद स्तरीय समिति को प्रेषित की जायेगी।
19. जनपद स्तरीय समिति की अनुशंसा पर जिला प्रशासन/पुलिस द्वारा यथोचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

(Annexure-B)

कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा।

शासनादेश 909 दिनांक 02 जून, 2026 एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1534 दिनांक 14 अगस्त, 2025, के अनुरूप, राजकीय अनुदान से पूर्व अनुबन्ध की शर्त:-

1- अलाभकर गोवंश (बृद्ध, बीमार, विकलांग, अनुत्पादक, निराश्रित एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गो तस्करों से जबा किये गये थे न्यायिक प्रकरणाधीन केस प्रोपर्टी गोवंश) को आश्रय प्रदान करने के उच्छेद्य की प्राप्ति हेतु आवेदक संस्था उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रख्यापित नियमावलियों/संशोधन आदेशों तथा तदक्रम में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में वर्णित कानूनी प्राविधानों तथा जनपदीय गोआश्रय अनुश्रवण समिति विकाखण्ड स्तरीय गो आश्रय अनुश्रवण समिति द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु बाध्य होगी।

2- आवेदक संस्था.....गोसदन की निर्धारित क्षमतानुसार गोवंश की संख्या के बराबर अलाभकर गोवंश देने हेतु प्रतिबद्ध होगी। तदक्रम में संस्था पुलिस प्रशासन/स्थानीय निकाय अथवा अन्य प्राधिकारियों को गोवंश को शरण दिये जाने के क्रम में सहयोग करने हेतु बाध्य होगी।

3- आवेदक संस्था.....पंजीकृत एवं मान्यता प्रदत्त गैर सरकारी संस्था है तथा इस संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र के माध्यम से राजकीय मान्यता हेतु आवेदन किया गया है।

4- आवेदक संस्था..... निम्न प्राविधान के अनुरूप पंजीकृत गैरसरकारी संस्था है (जो भी लागू हो उस बिन्दु पर सही का निशान लगाये):-

(क) सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है

अथवा

(ख) अलाभकर गोवंश के कल्याण हेतु बिना लाभ अर्जन करते हुए कोई अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत धर्मार्थ संस्था है

अथवा

(ग) पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड तहत पंजीकृत संस्था है

अथवा

(घ) किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है

5- आवेदक संस्था.....समस्त शरणागत गोवंश की भली प्रकार देख-रेख-भरण पोषण हेतु- राजकीय आंशिक सहायता भरण पोषण अनुदान के अतिरिक्त समस्त अवशेष व्ययों को निर्वहन कर पाने में सक्षम, कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

6- आवेदक संस्था.....गौशाला में न्यूनतम कवर्ड एरिया (40 वर्ग फीट प्रति गोवंश) के आधार पर निर्धारित गोवंशीय पशुओं को रखने स्वीकार करने हेतु सक्षम, कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

7- आवेदक संस्था.....भरण-पोषण एवं निर्माण मद में दिये गये राजकीय अनुदान का अनिवार्य रूप से एक माह के भीतर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से सत्यापित लेखा परीक्षण उपरान्त समायोजन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्या पशुचिकित्सा अधिकारी अल्मोड़ा को उपलब्ध कराने हेतु कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

8- आवेदक संस्था.....भरण-पोषण एवं निर्माण मद में दिये गये राजकीय अनुदान धनराशि का सदुपयोग, निराश्रित गोवंशीय पशुओं के भरण-पोषण /प्रबन्धन हेतु ही किये जाने के कम में कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

9-आवेदक संस्था.....भली प्रकार विदित एवं सहमत है कि शासन/प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई भी प्रतिनिध, संस्था का किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है। इस कम में संस्था पूर्ण सहयोग किये जाने हेतु कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

10- आवेदक संस्था.....भली प्रकार विदित एवं सहमत है कि गोवंश प्रबन्धन/लेखा परीक्षण/भू उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर उत्तराखण्ड शासन/जिला प्रासन/स्थानीय निकाय, आवेदक संस्था को 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए आदेशित किया जा सकता है। आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट न होने की स्थिति में या किसी भी विवाद की दशा में शासन का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसी स्थिति में कभी भी भूमि आर्बटन निरस्त कर, गोवंश/भू प्रबन्धन अथवा गोसदन परिसर के उपयोग का दायित्व किसी भी अन्य अर्ह संस्था को हस्तान्तरित किया जा सकता है।

11- आवेदक संस्था.....की गौशाला में क्षमता से अधिक गोवंशीय पशु होने पर क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी की आख्या के आधार पर गोवंश को अन्यत्र मान्यता प्राप्त प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों की क्षमता के आधार पर शहरी विकास विभाग/जिला पंचायत के माध्यम से विस्थापित किये जाने हेतु कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

12- आवेदक संस्था.....भली प्रकार विदित एवं सहमत है कि संस्था द्वारा संचालित गोसदनों में संदिग्ध अवस्था में गोवंशीय पशुओं की क्षति होने पर विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सम्बन्धित गोसदन की जांच की जायेगी। विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी जाँच आख्या जनपद स्तरीय समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद स्तरीय समिति की अनुशंसा पर जिला पुलिस/प्रशासन तथा स्थानीय निकाय द्वारा यथाचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

Annexure A

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड

Uttarakhand Animal Welfare Board

(मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन गठित संस्था)
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरौवाला देहरादून।

फोन नं० - 0135 - 2532 850 फैक्स : 0135 - 2532 811

वेब साइट : <http://ahd.uk.gov.in/pagesdisplay132-uttarakhand-animal-welfare-board>

पशु कल्याण संस्था के रूप में मान्यता/राजकीय अनुदान हेतु आवेदन प्रपत्र

1. संस्था का परिचय
 - नाम
 - पता
 - पिन कोड
 - दूरभाष/एस.टी.डी कोड
 - फैक्स
 - ई मेल
2. संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों के नाम एवं पते :
3. क्या संस्था भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त है ? यदि हाँ तो कोड संख्या ?
4. आपकी संस्था द्वारा पशु कल्याण का क्या कार्य किया जाता है ?
ए. बी. सी./बचाव कार्य/पशु शरणालय/पशु चिकित्सा /
प्राकृतिक आपदा में बचाव कार्य/विधिक न्यायालयी सहायता
5. क्या आपकी संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा ट्रस्ट एक्ट अथवा विदेशी सहायता एक्ट के तहत पंजीकृत है ?
यदि हाँ तो :-
 - (क) कृपया पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें।
 - (ख) पंजीकरण कार्यालय
 - (ग) पंजीकरण संख्या
 - (घ) पंजीकरण तिथि

6. संस्था का स्थापना वर्ष/नियमावली की सत्यापित छायाप्रति/
पदाधिकारियों का विवरण एवं उनके दायित्व तथा कार्यक्षेत्र :

7. गत तीन वर्षों का आय व्यय लेखा :

8. क्या संस्था द्वारा राजकीय कोष से (भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड अथवा भारत सरकार अन्तर्गत किसी अन्य संस्था या उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड अथवा उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत किसी अन्य संस्था या सांसद निधि या विधायक निधि या ग्राम पंचायत अथवा क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत या नगर पालिका अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय) से पशु कल्याण कार्य हेतु अनुदान प्राप्त किया गया ? यदि हाँ तो प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं लेखा विवरण भेज दिया गया है ?

प्राप्त अनुदान का विवरण प्रस्तुत करें।

9. संस्था की संपत्ति / संसाधन

9.1 भूमि :

(क) कुल भूमि उपलब्धता :

(ख) क्या भूमि आपकी संस्था के नाम पंजीकृत है ?

यदि हाँ तो कृपया अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

(ग) क्या भूमि आपकी संस्था के नियंत्रणाधीन है ?

यदि हाँ तो कृपया स्पष्ट करें कब से उक्त भूमि आपके नियंत्रणाधीन है ?

(घ) किस प्रकार भूमि अर्जित की गयी ? तदनुसार अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न करें।

- क्रय से अर्जित की गयी ?
- दान से अर्जित की गयी ?
- न्यूनतम 30 वर्ष के पट्टे से अर्जित की गयी ?
- राजकीय भूमि ?
- स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि ?

(ड) क्या आपकी भूमि में परिसर दीवार अथवा आयरन फेंसिंग करा ली गयी है ?

(च) बड़े पशुओं के गौचर हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल :

(छ) छोटे पशुओं के भ्रमण हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल :

9.2 उपलब्ध पशु चिकित्सा/प्राथमिक चिकित्सा संसाधन :

पशु चिकित्सक : संख्या ?

उपलब्धता - पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

पैरा वेटनरी स्टाफ : संख्या ?

उपलब्धता - पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

श्रमिकवर्ग पैरावैट : संख्या ?

उपलब्धता - पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

- औषधालय :
- औषधि उपलब्धता सूची :
- क्या औषधि उपलब्धता सूची को मासिक रूप से पुनः नवीनीकृत किया जाता है ? :
- आइसोलेसन बार्ड/ आई. सी. यू. / बीमार पशु बार्ड :
- लिफ्टिंग बैन / एम्बुलेंस की उपलब्धता :
- अन्य सुविधायें :

9.3 पशुओं हेतु चारा/भोजन का स्रोत एवं भण्डारण सुविधा :

- | | |
|--|-----------------|
| - पशुओं हेतु चारागाह की सुविधा - | |
| - सूखे चारे के स्रोत - | |
| - परिसर में उपलब्ध चारा वृक्षों की संख्या ? | औसत उत्पादकता ? |
| - गत वर्ष लगाये गये पेड़ों की संख्या ? | औसत उत्पादकता |
| - चालू वर्ष में लगाये गये पेड़ों की संख्या ? | औसत उत्पादकता ? |
| - परिसर में चारा घासों का रोपित क्षेत्रफल ? | औसत उत्पादकता ? |
| - अन्य स्रोतों से उपलब्धता ? | |

- चाराचरी की उपलब्धता -
- भूसा स्टोर कक्षों की व्यवस्था -
- अन्य चारे हेतु स्टोर कक्षों की व्यवस्था -
- चैप कटर की उपलब्धता -
- चारा घासों का फसल चक्र -

संख्या -
संख्या एवं साइज -
संख्या एवं साइज -
संख्या -

9.4 अन्य संसाधन एवं अन्य सुविधायें :

- बिजली -
- बल्ब -
- ट्यूब लाइट -
- पंखे -
- ट्यूबवैल/बोरवैल/मोटोराइज्ड पम्प -
- मोटोराइज्ड चैपकटर -
- पेय जल स्रोत -

(कुआं / बोर वैल / हैंड पंप / प्राकृतिक स्रोत / नहर / नदी / पेय जल संयोजन)

- पेय जल संग्रहण की सुविधा :
 - ओवर हैंड टैंक - संख्या - क्षमता -
 - स्टोरेज टैंक (सीमेंट) - संख्या - क्षमता -
 - स्टोरेज टैंक (प्लास्टिक) - संख्या - क्षमता -
 - पानी पीने की नाद - संख्या -

- नाली की व्यवस्था
- मूत्र संग्रह की व्यवस्था
- गोबर संग्रह की व्यवस्था
- चारा पिट्स की व्यवस्था
- स्वच्छता एवं सफाई की दशा :
- भोजन पकाने/ तैयार करने हेतु बर्तन आदि की सुविधायें :

9.5 कार्यालय अभिलेखों का विवरण :

- कार्यालय पंजिकाओं के शीर्षक :
- कार्यालय फाइलों के शीर्षक :
- अन्य अभिलेख :

10. वर्तमान में आपकी संस्था में शरणागत पशुओं की संख्या ?
आवेदन पत्र के साथ संलग्नक प्रपत्र 1 में समस्त सूचनाएँ उल्लिखित करें।
रोगी पशु संख्या ?
निराश्रित अपंग पशु संख्या ?
निराश्रित अनुत्पादक/वृद्ध पशु संख्या ?
निराश्रित उत्पादक पशु संख्या ?
11. दुधारु पशुओं में ऑक्सीटोसिन एवं अन्य दवाओं के प्रयोग का विवरण :
12. क्या आपकी संस्था में गोबर गैस का सदुपयोग प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हाँ तो कृपया प्रगति विवरण दें।
13. क्या आपकी संस्था में वर्मी कल्चर का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?
14. क्या आपकी संस्था में गौ मूत्र विक्रय का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हाँ तो कृपया प्रगति विवरण दें।
15. क्या आपकी संस्था में गौमूत्र शोधन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हाँ तो कृपया प्रगति विवरण दें।
16. क्या आपकी संस्था में गौ मूत्र से अन्य उत्पाद तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हाँ तो कृपया प्रगति विवरण दें।
17. क्या आपकी संस्था में पंचगव्य से विभिन्न उत्पाद तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हाँ तो कृपया प्रगति विवरण दें।
18. गत वर्षों में आपकी संस्था द्वारा बचाये गये पशुओं का विवरण :
समाचार पत्रों की पेपर कटिंग्स, / फोटो ग्राफ्स / वी. सी. डी. संलग्न कर प्रस्तुत करें।
19. संस्था में पशुओं को रखने की क्षमता हेतु विवरण संलग्न-1 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

20. संस्था में कर्मचारियों का विवरण संलग्न-2 के अनुरूप प्रस्तुत करें।
21. संस्था के अभिलेखों की छायाप्रतियाँ संलग्न-3 के अनुरूप प्रस्तुत करें।
22. स्पष्ट करें कि वांछित अनुदान धनराशि सुदृढीकरण हेतु वांछित है अथवा नव-निर्माण हेतु।

मैं/हम ने गौ-सदन स्थापना/सुदृढीकरण के लिये आर्थिक अनुदान धनराशि हेतु, उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण नियमावली, 2011, उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018 एवं तत्सम्बन्धित शासनादेशों (शासनादेश संख्या 759/XV-1/1(3)/2008, पशुपालन अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 16 दिसम्बर, 2008, शासनादेश संख्या 807/XV-1/11/1(3)08, पशुपालन अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 एवं शासनादेश संख्या 1063/XV-1/16/1(3)/2008, पशुपालन अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 28 दिसम्बर, 2016) में उल्लिखित शर्तें एवं अनुमन्यतायें भली-भाँति पढ़ ली हैं। हमारी संस्था को सभी शर्तें स्वीकार हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

संलग्नक : आवेदन प्रपत्र-1 से प्रपत्र-3 संलग्न कर प्रेषित करें।

आवेदन प्रपत्र संलग्नक-1

योजना का नाम :- गौ सदन/पशु शरणालय

1. संस्थान का नाम :
2. वर्ष :

शरणागत पशुओं का विवरण

क्रम सं०	पशुओं के प्रकार व नस्ल	वयस्क		बच्चे		योग
		नर	मादा	नर	मादा	
1.	गोवंशीय पशु (भारतीय नस्ल)					
2.	गोवंशीय पशु (विदेशी नस्ल)					
3.	अन्य पशु					
कुल शरणागत पशु						
अतिरिक्त उपलब्ध क्षमता (वर्ग फुट)		 वर्ग फुट (गो पशुओं हेतु)				
		 वर्ग फुट (अन्य पशुओं हेतु)				

आवेदक के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर तिथि :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

आवेदन प्रपत्र संलग्नक-2

योजना का नाम:- गौ सदन/पशु शरणालय के रख-रखाव/उपचार हेतु उपलब्ध कार्मिकों का विवरण

भाग-1 (गत वर्ष _____)

1. संस्था का नाम :-
2. संस्था का पता :-
3. वर्ष

क्रम सं०	कार्मिक का नाम व पता	योग्यता	नियुक्ति की तिथि	अवधि	प्रतिमाह वेतन	गत वर्ष किया गया कुल वेतन भुगतान	टिप्पणी

आवेदक के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर तिथि :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

गौ-सदन/पशु शरणालय के स्थान हेतु प्रपत्र के साथ अपेक्षित अभिलेखों की सूची :-

1. निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र
2. विस्तृत प्रस्ताव एवं गौ सदन के निर्माण का औचित्य
3. आवेदन पत्र के बिन्दु-5 के अनुरूप पंजीकरण प्रमाण पत्र के सत्यापित छायाप्रति
4. संस्था का स्मृति पत्र की सत्यापित छायाप्रति
5. संस्था की नियमावली की सत्यापित छायाप्रति
6. साईट प्लान/ब्लू प्रिन्ट जो कि स्थानीय निकाय के द्वारा स्वीकृत हों।
7. भूमि के अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति (भूमि की रजिस्ट्री अथवा लीज अथवा पंचनामा की सत्यापित छायाप्रति। भूमि कम से कम 30 वर्ष हेतु पट्टे पर ली गयी हो।)
8. संस्था के नाम पर भूमि के पंजीकरण के रजिस्टर अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति।
9. स्थानीय निकायों के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत गौ-सदन/पशु शरणालय बनाये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (सत्यापित छायाप्रति)।
10. गौ-सदन/पशु शरणालय बनाये जाने हेतु धनराशि का मदवार आवंटन लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत दरों पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार किया जाए (मूल रूप में)।
11. संस्था की अधिशासी समिति तथा सामान्य कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची (नाम, पता, दूरभाष संख्या)
12. संस्था के गत वर्ष के आय-व्यय लेखा का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित निम्न अभिलेखों की छायाप्रति :-
 1. आय-व्यय का लेखा (बैलेन्स शीट)
 2. व्यय लेखा (एक्सपेंडिचर एकाउन्ट)
 3. प्राप्ति भुगतान लेखा
 4. सम्परीक्षण प्रतिवेदन
13. आज तक पशु कल्याण हेतु किये गये कार्यों का विवरण तथा उन पर किये गये व्यय।
14. गौ-सदन को भली-भाँति चलाने तथा पशुओं के रख-रखाव हेतु वित्तीय संसाधन।
15. क्या आज तक संस्था को भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड से वित्तीय अनुदान प्राप्त हुआ है (यदि हाँ तो विवरण दें तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)
16. औषधि/उपकरण क्रय हेतु रेट कोटेशन की छायाप्रति।
17. वर्तमान समय में उपलब्ध भवनों की क्षमता।
18. क्या संस्था द्वारा स्थानीय निकाय में आवासीय पशुओं को धरण दिये जाने के बावत सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया गया है (यदि हाँ तो कृपया अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
19. वर्तमान समय में आपकी संस्था में शरणागत पशुओं की संख्या के अभिलेख के क्रम में संलग्नक आवेदन प्रपत्र-1
20. वर्तमान समय में आपकी संस्था में कार्यरत कार्मिकों की संख्या के क्रम में संलग्नक आवेदन प्रपत्र-2

अपील :-

आवेदक संस्थाओं से निवेदन है कि अपने 'आवेदन प्रस्ताव' के साथ समस्त अभिलेख संलग्न करें, जिससे प्रस्तावों पर शीघ्रतिशीघ्र निर्णय हेतु सुविधा हो सके।

आवेदन प्रपत्र संलग्नक-3

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार से मान्यता लिये जाने के क्रम में
आवेदक संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव

आवेदक संस्था का नाम :

आवेदक संस्था का पता :

आज दिनांक _____ स्थान _____ पर हमारी संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई। प्रबन्ध कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि :-

1. हमारी संस्था द्वारा अलाभकर गोवंश (बृद्ध / बीमार / विकलांग / बांझ / अनुत्पादक निराश्रित गोवंश तथा पुलिस प्रशासन द्वारा गोतस्करों से जब्त किये गये केस प्रॉपर्टी गोवंश) को शरण दिये जाने का पवित्र कार्य किया जायेगा।
2. हमारी संस्था द्वारा स्वयं के संसाधनों/दान अथवा जनसहयोग से मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 50 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 25 अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने हेतु कृत संकल्प एवं समर्थ है।
3. हमारी संस्था पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड से मान्यता लिये जाने हेतु सहमत है।
4. हमारी संस्था उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदत्त आंशिक सहायता/भरण पोषण अनुदान से लाभान्वित किये जाने हेतु आकांक्षी है।
5. हमारी संस्था, समस्त शरणागत गोवंश की भली प्रकार देख-रेख भरण पोषण करने हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।
6. हमारी संस्था, गोहत्या के निषेध तथा गोतस्करी के निवारण हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।
7. हमारी संस्था द्वारा शरणागत गोवंश की बीमारी की दशा में राजकीय पशुचिकित्सालय के माध्यम से चिकित्सा कराये जाने तथा मृत्यु की दशा में शव परीक्षण/प्रमाणन कराये जाने हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-